संख्या:287/2015/1662जे0/22-3-15-227एचआरसी/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2015***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी बच्चा लाल पुत्र स्व0 प्यारेलाल की दिनांक 10-09-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश संख्या-3323/24/4/2013-जेसीडी, दिनांक 25-08-2015 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0-3,00,000/-(रू0 तीन लाख मात्र) की अन्तरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर महानिरीक्षक(प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-40771/मा0अनु0(1)/246-2012, दिनांक 15-09-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के सिद्धदोष बंदी बच्चा लाल पुत्र स्व0 प्यारेलाल, निवासी-मेहरा, थाना-लालापुर, जनपद-इलाहाबाद की दिनांक 10-09-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 25-08-2015 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अंतरिम राहत के रूप में रू0-3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि प्रकरण में दोषी पायें गये अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 101-03 समस्त करागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 25-08-2015 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशो का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-145/दस-2014, दिनांक 23-06-2014 में प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अनुक्रम में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1399/छः-मा0-1-14-21(विविध)/13, दिनांक 26-06-2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहें है।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

<u>संख्या:287/2015/1662जे0(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
5. अनुसचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-166एससीएन/छः-मा0-1-14-2(24)/2014, दिनांक 16-01-2014 के संदर्भ में।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in